उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

संख्या-6/2025/आई/869202/2025-10-22099/563/2020

लखनऊ: दिनांक: 3 फरवरी, 2025

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

राज्य सरकार के पेंशनरों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु शासन के विज्ञप्ति संख्या-14/2015-सा-3-414/दस-2015-944/88, दिनांक 24 जून, 2015 सपठित विज्ञप्ति/संशोधन संख्या-18/2015-सा-3-712/दस-2015-944/88, दिनांक 23 सितम्बर, 2015 एवं कार्यालय-ज्ञाप संख्या-5/2025/आई/868735/2025-10-22099/563/2020, दिनांक 3 फरवरी, 2025 द्वारा गठित "पेंशनर सलाहकार समिति" की चतुर्थ बैठक दिनांक 11-02-2025 को अपरान्ह 4:30 बजे से अपर मुख्य सचिव, वित्त उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में नवीन भवन स्थित सभा कक्ष "पारिजात" (कक्ष संख्या-84) में आहूत की गयी है।

2- अत: समिति के सदस्यगण से अनुरोध है कि कृपया उक्त बैठक में प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

विजय कुमार सिंह
विशेष सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवे आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1)- पेंशनर सलाहकार समिति के समस्त सदस्यगण (संलग्न सूची के अनुसार)।

(2)- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, वित्त, उ0प्र0 शासन ।

आज्ञा से,

राहुल कुमार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

"पेंशनर सलाहकार समिति" के सदस्यगण की सूची-

1	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग	अध्यक्ष
2	प्रमुख सचिव, न्याय विभाग	सदस्य
3	प्रमुख सचिव, गृह विभाग	सदस्य
4	प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग	सदस्य
5	प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वस्थ्य विभाग	सदस्य
6	अध्यक्ष, संयुक्त पेंशनर्स समन्वय समिति, लखनऊ	सदस्य
7	अध्यक्ष, गवर्नमेण्ट पेंशनर्स वेलफेयर आर्गनाइजेशन, लखनऊ	सदस्य
8	अध्यक्ष, पुलिस पेंशनर्स कल्याण संस्थान, लखनऊ	सदस्य
9	अध्यक्ष, सचिवालय पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन, लखनऊ	सदस्य
10	अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राजकीय सिविल पेंशनर परिषद, लखनऊ	सदस्य
11	अध्यक्ष, सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर एसोसिएशन, उ0प्र0, लखनऊ	सदस्य
12	श्री नील रतन कुमार, से0नि0 विशेष सचिव एवं निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, लखनऊ	सदस्य
13	निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ	सदस्य
14	निदेशक, पेंशन, उ0प्र0, इन्दिरा भवन, लखनऊ	सदस्य
15	विशेष सचिव, वित्त (लेखा) अनुभाग	सदस्य
16	विशेष सचिव, वित्त (सामान्य) अनुभाग-3	सदस्य सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।